मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 06] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015–माघ 17, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप–नाम परिवर्तन

सर्व–साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा नाम शिवनारायण पटेल पिता श्री महावीर पटेल है. भूलवश शासकीय रिकॉर्ड में शिवनारायण कुर्म हो गया है. जिसे सुधार कर शिवनारायण पटेल पिता श्री महावीर पटेल सभी शासकीय रिकॉर्डों में सुधार किया जाय एवं पढ़ा–लिखा जाना जाय.

पुराना नाम :

(शिवनारायण कुर्म)

नया नाम :

(शिवनारायण पटेल)
पिता श्री महावीर पटेल,
ग्राम—चोरगड़ी थाना, तहसील रायपुर,
कर्चुलियान, जिला रीवा (म.प्र.).

(583–बी.)

उप–नाम परिवर्तन

मैं, राजेश अग्रवाल ने अपना नाम परिवर्तन कर राजेश मंगल कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(राजेश अग्रवाल)

नया नाम :

(राजेश मंगल)
पता—ई–12, शिवमोती नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(584–बी.)

उप–नाम परिवर्तन

मैं, अमृता अग्रवाल ने अपना नाम परिवर्तन कर अमृता मंगल कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(अमृता अग्रवाल)

नया नाम :

(अमृता मंगल)
पता—ई–12, शिवमोती नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(585–बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती वहीदा खानम पति मोहम्मद ईसहाक खान का विवाह पूर्व नाम कुमारी शकुन्तला नितनवरे था, जो मोहम्मद ईसहाक खान से विवाह के पश्चात् श्रीमती वहीदा खानम हो गया है.

अत: मुझे उपरोक्त नाम से जाना जाए व शासकीय-अशासकीय अभिलेखों में मेरा नया नाम श्रीमती वहीदा खानम दर्ज किया जावे.

पुराना नाम :

(शकुन्तला नितनवरे)

नया नाम :

(वहीदा खानम)

पता—द्वारा.—ईसहाक खान

म. नं. 2257 लाजपत कुंज, नेपियर टाउन, जबलपुर.

(587-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी नूतन दत्तात्रय डोले था. जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर श्रीमती सुमिता नाईक पति सुधीर नाईक हो गया है. अत: भविष्य में मुझे श्रीमती सुमिता नाईक के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(नूतन दत्तात्रय डोले)

नया नाम :

(सुमिता नाईक)

49-ए, वैशाली नगर, अन्नपूर्णा रोड,

इन्दौर (म. प्र.).

(588-बी.)

सर्व-सूचना

मैं चन्द्रशेखर साहू एडव्होकेट, अशोकनगर, सर्व-साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कोठारी पिता स्व. श्री सूरजमल कोठारी की पुत्री कुमारी दिव्यांशी कोठारी, तारा सदन स्कूल अशोकनगर में कक्षा 10वीं की विद्यार्थी है, कुमारी दिव्यांशी को तारा सदन स्कूल में भर्ती कराते समय कुमारी दिव्यांशी की माँ का नाम भूलवश घरेलू नाम श्रीमती सोना कोठारी लिखा हो गया है. जबकि कुमारी दिव्यांशी की माँ का सही नाम श्रीमती वसुंधरा कोठारी है एवं समस्त दस्तावेजों में भी कुमारी दिव्यांशी की माँ का नाम श्रीमती वसुंधरा कोठारी अंकित है.

अत: जिस व्यक्ति को कुमारी दिव्यांशी कोठारी की माँ श्रीमती वसुंधरा की कोठारी के नाम पर आपत्ति हो तो वह सूचना प्रसारित होने की 05 दिवस के अंदर इस कार्यालय में संपर्क करें. बाद अवधि शासकीय दस्तावेजों में कुमारी दिव्यांशी की माँ के नाम के स्थान पर श्रीमती वसुंधरा कोठारी दर्ज कराया जावेगा.

चन्द्रशेखर साहू (एडव्होकेट)

मोती मोहल्ला, अशोकनगर,

जिला अशोकनगर (म. प्र.).

(589-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम वर्तमान में राजेन्द्र कुमार बाबर सभी दस्तावेज/शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में अंकित है. मैंने अपने नाम में उपनाम बाबर को हटाकर अब मेरा नाम राजेन्द्र कुमार कर लिया है. अब मेरा नाम राजेन्द्र कुमार बाबर की जगह राजेन्द्र कुमार ही पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम :

(राजेन्द्र कुमार बाबर)

नया नाम :

(राजेन्द्र कुमार)

उप निरीक्षक, रेल सुरक्षा बल,

शिवपुरी (म. प्र.).

(590-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकार श्रीमती राजकुमारी मालपानी पति श्री सुरेश मालपानी, उम्र 42 वर्ष, धंधा गृहकार्य, निवासी—62, विंध्याचल नगर, एरोड्रम रोड, इन्दौर, म. प्र. ने जानकारी दी है कि उन्हें घरवाले घरू नाम रचना के नाम से बुलाते हैं जबकि वास्तविक नाम राजकुमारी है तथा दस्तावेजों, पेनकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, अंकसूचियों में वास्तविक नाम राजकुमारी अंकित है जो सही एवं मान्य है. मेरी पक्षकार का पुत्र ऐशवर्य मालपानी न्यू दिगम्बर पब्लिक स्कूल, इन्दौर कक्षा 11वीं में अध्ययनरत होकर उसके द्वारा कक्षा 10वीं की केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली माध्यमिक विद्यालय परीक्षा सत्र 2014 दी थी जिसमें ग्रेड शीट सह निष्पादन प्रमाण-पत्र जिसमें कालम माता के नाम के आगे घरू नाम रचना मालपानी अंकित है जिसके स्थान पर सुधारकर वास्तविक नाम "राजकुमारी मालपानी" अंकित किया जाकर निष्पादन प्रमाण-पत्र पुन: जारी करवाना है.

मेरी पक्षकार के उक्त कथन, वास्तविक नाम ''राजकुमारी मालपानी'' पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो जाहिर सूचना प्रकाशन से 7 दिवस की अवधि में लिखित प्रमाण सहित सूचित करें अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी.

पवन कुमार क्वात्रा (एडव्होकेट)
20, मनुश्रीनगर, एयरपोर्ट रोड,
इन्दौर (म. प्र.).

(586-बी.)

CHANGE OF NAME

I, ISSAC PHILIP declare that for and on behalf of my Wife and Children wholly renounce/relinquish and abandon the use of my former name / surname of INTIKHAB ALAM QURESHI and in place thereof I do hereby assume from this date the name / surname ISSAC PHILIP and so that I and my Wife and Children may hereafter be called, known and distinguished in all government and nongovernment and other organizations not my former name INTIKHAB ALAM QURESHI, but assumed name / surname of ISSAC PHILIP.

Old Name :
(INTIKHAB ALAM QURESHI)

New Name :
(ISSAC PHILIP)
G-l Vipinshri Appartment,
346, Shri Nagar Extension, Indore (M.P.).

(595-B.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम विनोद अडबाल उर्फ विनोद कुमार अडबाल था, जिसमें अब मैंने अपना उपनाम बदलकर अपना नया नाम विनोद मोदी कर लिया है. अत: अब से मुझे मेरे, मेरी पत्नि और बच्चों के समस्त दस्तावेजों में विनोद मोदी नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(विनोद अडबाल/विनोद कुमार अडबाल)

नया नाम :
(विनोद मोदी)
(VINOD MODI)
355, सेक्टर-ए, राजनगर,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म. प्र.).

(596-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

शादी पूर्व मेरा नाम उर्मिला चौरसिया था जिसमें शादी के बाद हमने अपना उपनाम बदलकर उर्मिला अडबाल कर लिया था, किन्तु अब हमने पुन: अपना उपनाम बदलकर अपना नाम उर्मिला मोदी कर लिया है. अत: अब से मुझे मेरे, मेरे पति और बच्चों के समस्त दस्तावेजों में उर्मिला मोदी नाम से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम :
(उर्मिला चौरसिया/उर्मिला अडबाल)

नया नाम :
(उर्मिला मोदी)
(URMILA MODI)
W/o VINOD MODI
355, सेक्टर-ए, राजनगर,
एयरपोर्ट रोड, इन्दौर (म. प्र.).

(597-बी.)

CHANGE OF NAME

I, hereby declare that just before marriage my name was Rushie Porwal, Now after marriage we have changed my name Rushie Porwal To Ruushie Deesai. Now & after that, Henceforth my name be known, read & written as Ruushie Deesai.

Old Name :
(RUSHIE PORWAL)

New Name :
(RUUSHIE DEESAI)
579/1, M. G. Road,
Bal Bhim Bhawan Society, Indore (M.P.).

(598-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स बाजपेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्राम व पोस्ट बिनवारा, तहसील निवाड़ी, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश में श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय आत्मज श्री भगवत नारायण पाण्डेय, आयु 64 वर्ष, निवासी एच.आई.जी.-23 सूत्रीय सेक्टर, अयोध्या नगर, भोपाल जो कि फर्म में 25 प्रतिशत के सह भागीदार थे दिनांक 16-12-2010 को स्वास्थ्य कारणों से उक्त भागीदारी फर्म से स्वेच्छा पूर्वक अपने आपको पृथक् कर लिया है.

अत: दिनांक 16-12-2010 से रमेशचन्द्र पाण्डेय तनय भगवत नारायण पाण्डेय का उक्त फर्म से किसी प्रकार का कोई लेना-देना नहीं है और न ही कोई संबंध रहेगा.

मे. बाजपेयी इन्फ्रास्ट्रक्चर,
आस्तिक तनय राधाचरण बाजपेयी,
(पार्टनर)
निवासी—ग्राम बिनवारा, तहसील निवाड़ी,
जिला टीकमगढ़ (म. प्र.).

(592-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन, जिसका कार्यालय एकता कॉलोनी, राजीव वार्ड, बीना, जिला सागर है, दिनांक 11-09-2014 से भंग हो चुकी है.

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था आदि को कोई भी आपत्ति हो या कोई भी लेना-देना बाकी हो या कोई वैधानिक आपत्ति हो तो आपत्तिकर्ता आधार सहित, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर अधिवक्ता को सूचित करावें अन्यथा 7 दिवस के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सूचनाकर्ता
प्रशांत सिंघई,
(एडव्होकेट)
वाणिज्य वाटिका, महावीर चौक,
बीना, सागर.

(593-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे. श्री गुरू कन्स्ट्रक्शन, जिसका कार्यालय एकता कॉलोनी, राजीव वार्ड, बीना, जिला सागर है, में से दिनांक 11-09-2014 से एक भागीदार श्रीमति सविता सेठी निवृत्त हो रही हैं तथा दिनांक 11-09-2014 से ही एक नये भागीदार श्री संदीप सेठी फर्म में शामिल हो रहे हैं.

यदि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था आदि को कोई भी आपत्ति हो तो आपत्तिकर्ता आधार सहित, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर अधिवक्ता को सूचित करावें अन्यथा 7 दिवस के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी.

सूचनाकर्ता
प्रशांत सिंघई,
(एडव्होकेट)
वाणिज्य वाटिका, महावीर चौक,
बीना, सागर.

(594-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सिंघई राजाराम तुलसीराम रघुनाथ गंज, कटनी में पूर्व में पार्टनर थे जिसमें श्री धन्य कुमार वल्द स्व. राजाराम जी का दिनांक 02-04-2003 को स्वर्गवास हो गया है एवं सुनील कुमार वल्द श्री देवकुमार एवं श्रीमती राजकुमारी जैन धर्म पत्नी देव कुमार एवं श्रीमति गुलाब बाई धर्म पत्नी स्व. श्री धन्यकुमार जैन दिनांक 25-06-2014 से फर्म की साझेदार से अलग हो गये हैं. फर्म का पुनर्गठन किया गया जिसमें दिनांक 25-06-2014 (1) देवकुमार जैन वल्द स्व. श्री राजाराम रघुनाथ गंज, कटनी (2) श्रीमति अर्चना मलैया धर्म पत्नी श्री प्रकाश मलैया 1641/114 एम एल बी के पास जबलपुर फर्म साझेदार है.

देवकुमार,
(पार्टनर)
मेसर्स सिंघई राजाराम तुलसीराम
रघुनाथ गंज, कटनी.

(599-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर

सागर, दिनांक 20 जनवरी, 2015

क्र./375/स.वि.लि.-1/15.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रतांक एम-3/2/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं, ए. के. सिंह, कलेक्टर, सागर वर्ष 2015 के लिये सागर जिले के अंतर्गत निम्नलिखित तारीखों को पूरे जिले के लिये स्थानीय अवकाश एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक-एम-03/20/83/1/4, दिनांक 24 जून,1983 द्वारा प्रदान की गई अनुमति के आधार पर डॉ. हरिसिंह गौर जयन्ती का विशेष अवकाश केवल सागर नगर के लिये घोषित करता हूँ:—

क्र.	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	पर्व/त्यौहार
1.	10 मार्च, 2015	मंगलवार	रंग-पंचमी
2.	21 अक्टूबर, 2015	बुधवार	दुर्गा महाष्टमी
3.	12 नवम्बर, 2015	गुरुवार	दीपावली का दूसरा दिन
4.	26 नवम्बर, 2015	गुरुवार	डॉ. हरिसिंह गौर जयन्ती (विशेष अवकाश, केवल सागर नगर के लिये)

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उप-कोषालय को लागू नहीं होंगे. इसके अतिरिक्त उक्त अवकाश लोक सेवा गारन्टी केन्द्रों के लिये भी लागू होंगे.

ए. के. सिंह,
कलेक्टर.

(67)

निविदा सूचनाएं

शासकीय क्षय चिकित्सालय, नौगांव में भर्ती शुदा मरीजों को भोजन प्रदाय हेतु वर्ष 2015-16 के लिये अधोलिखित सामग्री क्रय करने हेतु मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती हैं.

निविदायें भेजने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2015 दिन 12 बजे तक है. निविदायें दिनांक इसी दिन समस्त उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष दोपहर 12.00 बजे खोली जायेंगी. निविदा प्रपत्र एवं नियमावली उपरोक्त कार्यालय से कार्यालयीन समय में दिनांक 02 मार्च, 2015 में नगद 100/- देकर प्राप्त की जा सकती है अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा.

अधोलिखित सामग्री नियमावली के तहत क्रय की जानी है.

वर्ग-1

1. गेहूँ (अच्छी किस्म की)
2. चावल
3. शक्कर

(शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त न होने पर)

वर्ग-2

1. दाल अरहर (कानपुरी)
2. दाल मूँग (छिलका रहित)
3. खाद्य तेल

वर्ग-3

1. धनिया पिसी
2. हल्दी पिसी
3. मिर्च पिसी

	4.	जीरा खड़े
	5.	गरम मसाला खड़ा
	6.	नमक पिसा आयोडीन युक्त
वर्ग-4		
	1.	लकड़ी (जलाऊ)
वर्ग-5	1.	सब्जी
वर्ग-6	1.	मौसमी फल
वर्ग-7	1.	डबल रोटी
वर्ग-8	1.	दूध (साँची का उपलब्ध न होने पर)

बी. के. मिश्रा,
अधीक्षक,
क्षय चिकित्सालय, नौगांव,
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश.

(68)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय कलेक्टर सिवनी एवं पंजीयक, लोक न्यास अधिकारी, सिवनी, जिला सिवनी

प्र. क्र./ /बी-113 (1)/2013-14.

प्रारूप-तृतीय

[नियम-5 (1) देखिये]

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गण भक्तिधाम पेसूराम धर्मशाला चेरिटेवल ट्रस्ट, सिवनी, सिंधी कॉलोनी, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिवनी द्वारा अस्पताल का निर्माण कराना, चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना, असाध्य रोगों जैसे केंसर, टी बी आदि के निराकरण हेतु रिसर्च सेन्टर एवं प्रयोगशाला खोलना, गरीबों एवं असहाय व्यक्तियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराना एवं यथासंभव कैम्प लगाना, मेडीकल कॉलेज की स्थापना करना एवं मेडिकल कॉलेजों को सहयोग प्रदान करना, असहाय एवं निर्धनों की यथासंभव मदद करना, वृद्धजनों, विधवाओं एवं बालकों की मदद करने "भक्तिधाम पेसूराम धर्मशाला चेरिटेवल ट्रस्ट", सिंधी कॉलोनी, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिवनी, तहसील व जिला सिवनी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 27 फरवरी, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम	..	"भक्तिधाम पेसूराम धर्मधाला चेरिटेबल ट्रस्ट", सिंधी कॉलोनी, महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड, सिवनी
2. चल सम्पत्ति	..	नगद 5,500/- (पाँच हजार पाँच सौ रुपये)
3. अचल सम्पत्ति	..	प्लाट एवं भवन प्लाट नम्बर 7/29 ब्लॉक नम्बर 3, सिंधी कॉलोनी, सिवनी (म. प्र.) एरिया 2160 वर्गफिट.

जे. समीर लकरा,
अपर कलेक्टर एवं पंजीयक.

(59)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन

प्र. क्र./ 03/बी-113 (1)/2012-13.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30, 1951) की धारा-5 (2) एवं
मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, खरगोन.

चूँकि प्रार्थी अध्यक्ष "देवी अहिल्या पेलेस आश्रय ट्रस्ट" खरगोन द्वारा ट्रस्ट के पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल-अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करें तथा उपस्थित रहें. निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

अ. क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	नगद	—	—	रुपये 47,250.00
2.	अचल सम्पत्ति	—	—	—

महेन्द्र सिह कवचे,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(65)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, उत्पादन वनमंडल, देवास

क्र./भण्डार/15/01.—पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर जो वन परिक्षेत्र अधिकारी, सतवास को दतूनी परियोजना के कक्ष क्रमांक 129-ए कलवार हेतु श्री संतोष योगी, वनरक्षक को विदोहित वनोपज की निकासी हेतु प्रदाय पासिंग हेमर क्रमांक 74 दिनांक 31-12-2014 को वन परिक्षेत्र सतवास के अन्तर्गत दतूनी परियोजना के कक्ष क्रमांक 129-ए, कलवार में कहीं गिर गया है. कक्ष प्रभारी द्वारा हेमर काफी तलाश किया गया किन्तु नहीं मिला. हेमर गिरने की सूचना वनरक्षक द्वारा थाना सतवास जिला देवास में दिनांक 31-12-2014 को की गई. अतः गुम हेमर का दुरूपयोग न हो इस दृष्टि से वन वित्तीय नियम 124 के द्वारा प्रदत्य प्रावधानों का उपयोग करते हुए पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर 74 KD भंडार से अपलेखित किया जाता है. हेमर का मूल्य रु. 450/- श्री संतोष योगी, वनरक्षक से वसूल करने तथा हेमर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिये परिनिंदित किया जाता है. इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित आकृति का हेमर जो गुम हो चुका है जिसकी सूचना पुलिस थाना में दी जा चुकी है. यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर प्राप्त होता है तो वन परिक्षेत्र कार्यालयीन उत्पादन सतवास अथवा पुलिस थाना सतवास में जमा करावे. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर का उपयोग अवैध रूप से करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-63 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी.

मनोज अर्गल,
वनमंडलाधिकारी.

(69)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेला, पंजीयन क्रमांक 1187, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2003/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेला, पंजीयन क्रमांक 1187, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलखन, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2004/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिलखन, पंजीयन क्रमांक 1213, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

संकटमोचन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराह, पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड जवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2005/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए संकटमोचन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराह, पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड जवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

विन्ध्य कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कदैला, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद क़र देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1999/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए विन्ध्य कृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कदैला, पंजीयन क्रमांक 1217, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लालगांव, पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2001/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बघेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लालगांव, पंजीयन क्रमांक 1186, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वहेरा सेगरान, पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मनगवां, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/2002/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वहेरा सेगरान, पंजीयन क्रमांक 1188, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मनगवां, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1996/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., पटना, पंजीयन क्रमांक 1214, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

श्री कुन्डेश्वर नाथ साग-भाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजुहा, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1997/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए श्री कुन्डेश्वर नाथ साग-भाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खजुहा, पंजीयन क्रमांक 1215, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाढा, पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड जवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1998/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., गाढा, पंजीयन क्रमांक 1216, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड जवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी नं. 1, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1994/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., हर्दी नं. 1, पंजीयन क्रमांक 1212, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहिरा, पंजीयन क्रमांक 1211, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1995/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीजोत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहिरा, पंजीयन क्रमांक 1211, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनिका, पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1990/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनिका, पंजीयन क्रमांक 1204, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खर्रा, पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1991/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खर्रा, पंजीयन क्रमांक 1207, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

क्र./परि./2014/2281.—बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर, पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1992/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवराजपुर, पंजीयन क्रमांक 1210, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

रामाचार्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोरौढ, पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1964/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रामाचार्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोरौढ, पंजीयन क्रमांक 1158, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

शिव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगढ़ा पिडिहान, पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1965/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए शिव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगढ़ा पिडिहान, पंजीयन क्रमांक 1157, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

क्रियायोग वैज्ञानिक स्वामी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर तमरी, पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1966/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए क्रियायोग वैज्ञानिक स्वामी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर तमरी, पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढिया, पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1967/रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सरदार पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौढिया, पंजीयन क्रमांक 1160, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड मऊगंज, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जड़कुड़, पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1968/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जड़कुड़, पंजीयन क्रमांक 1163, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा, पंजीयन क्रमांक 1208, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1993/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खड्डा, पंजीयन क्रमांक 1208, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड सिरमौर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमना, पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1969/रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हनुमना, पंजीयन क्रमांक 1162, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोगरी, पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1970/रीवा, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोगरी, पंजीयन क्रमांक 1164, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

नन्द बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा, पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1971/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए नन्द बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टटिहरा, पंजीयन क्रमांक 1165, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

हितकारिणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटखरी, पंजीयन क्रमांक 1166, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1972/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए हितकारिणी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खटखरी, पंजीयन क्रमांक 1166, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

बलस्टर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां, पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1973/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए बलस्टर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां, पंजीयन क्रमांक 1167, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

गोरे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछरहटा, पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1974/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए गोरे बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछरहटा, पंजीयन क्रमांक 1168, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

महावीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतुलखी, पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1975/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए महावीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पतुलखी, पंजीयन क्रमांक 1169, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड हनुमना, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(55-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

आनंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौती, पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकुर्चलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1976/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए आनंद बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौती, पंजीयन क्रमांक 1173, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकुर्चलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

अनुरूद्ध बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनोरी, पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1977/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते

हुए अनुरूद्ध बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनोरी, पंजीयन क्रमांक 1175, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदई, पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1978/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चंदई, पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

रामधनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटहाकला, पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1979/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए रामधनी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटहाकला, पंजीयन क्रमांक 1178, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

ओंकारेश्वर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1980/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए ओंकारेश्वर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

ओंकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1980/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए ओंकेश्वर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर, पंजीयन क्रमांक 1179, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड नईगढ़ी, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटवा, पंजीयन क्रमांक 1180, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1982/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए हरिओम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटवा, पंजीयन क्रमांक 1180, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

जय माता दी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलवा पेकान, पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम, उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यतः साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1983/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अतः मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए जय माता दी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलवा पेकान, पंजीयन क्रमांक 1183, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

सरोवर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिवनी, पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1984/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सरोवर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिवनी, पंजीयन क्रमांक 1182, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलवा कुर्मियान, पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1985/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए पटेल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलवा कुर्मियान, पंजीयन क्रमांक 1185, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

कर्म. बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोवास, पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1986/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए कर्म. बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोवास, पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड गगेव, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

सांईराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मणपुर, पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1987/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सांईराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लक्ष्मणपुर, पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रीवा, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहिरी, पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1988/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहिरी, पंजीयन क्रमांक 1200, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड रायपुरकर्चुलियान, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. डी. द्विवेदी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(56-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) अंतर्गत]

सुभी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चाकघाट, पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा-09 के तहत् पंजीकृत तथा अधिनियम की धारा-10 के तहत् वर्गीकृत उत्पादक वर्ग की प्राथमिक सहकारी समिति है जो सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देशों के अध्यधीन कार्य करने हेतु आबद्धकर है. संस्था के बोर्ड पर सहकारी अधिनियम, नियम , उपविधि व विभागीय निर्देश अभिभावी हैं. अधिनियम की धारा-69 (2), (ए/क) में संस्था द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य प्रारम्भ नहीं करने अथवा कार्य बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) में संस्था किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणत: सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) में अधिनियम, नियम और उपविधि का अनुपालन बंद कर दिये जाने पर सोसाइटी को परिसमापन में लाये जाने का प्रावधान किया गया है.

संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2), (ए/क) अनुसार अपने रजिस्ट्रीकरण से युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं करने या कार्य करना बन्द कर दिये जाने, धारा-69 (2), (बी/ख) अनुसार सोसाइटी मुख्यत: साधारण सदस्यों के हितों को संप्रवर्तित करने के स्थान पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हित को संप्रवर्तित करने के लिये कार्य करने तथा धारा-69 (2), (सी/ग) के अनुसार इस अधिनियम, नियम, उपविधियों व रजिस्ट्रीकरण की शर्तों का अनुपालन बंद कर देने के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2014/1989/रीवा, दिनांक 29 अक्टूबर, 2014 के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 14 नवम्बर, 2014 तक स्पष्टीकरण चाहा गया. संस्था को प्रदत्त कारण बताओ सूचना-पत्र जिले के स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक भास्कर तथा दैनिक जागरण के दिनांक 01 नवम्बर, 2014 के संस्करण में प्रकाशित कराया गया लेकिन पर्याप्त सूचना के बावजूद संस्था द्वारा आज दिनांक तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इससे स्पष्ट है कि संस्था अधिनियम, नियम एवं उपविधि अनुसार कार्य करने के लिये रजामंद नहीं है तथा संस्था ने अपना कार्य व्यापार बंद कर दिया है.

अत: मैं, परमानंद गोडरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) की शक्तियां, जो मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मुझे प्रदत्त हैं, का प्रयोग करते हुए सुभी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चाकघाट, पंजीयन क्रमांक 1203, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014, विकासखण्ड त्योंथर, जिला रीवा को परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. एल. गर्ग, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं तथा निर्देशित करता हूं कि 02 माह के भीतर संस्था की संपूर्ण परिसम्पत्तियों/आस्तियों का वैधानिक निराकरण कर समय-सीमा में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, ताकि संस्था का निगमित निकाय समाप्त किया जा सके.

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

परमानंद गोडरिया,
सहायक रजिस्ट्रार.

(56-M)

कार्यालय डिप्टी-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर

कारण बताओ सूचना-पत्र

क्र./परि./14/2047

छतरपुर, दिनांक 22 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

संचालक मण्डल,
प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा.
पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991.

जरिये एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडामलहरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक/168/2014, दिनांक 4 अगस्त, 2014 के द्वारा इस कार्यालय को यह लेख किया था कि पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 के नाम पर निम्न तीन भण्डारों के नाम से पत्राचार किया जा रहा है :—

1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा	640/04-01-1991
2.	महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा	640/04-01-1991
1.	सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा	640/04-01-1991

उक्त के संबंध में उक्त तीनों संस्थाओं के नाम से रजिस्टर्ड सूचना-पत्र भेजे जाकर सुनवाई दिनांक 15 सितम्बर, 2014 में नियत की गयी थी. दिनांक 15 सितम्बर, 2014 को प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा को प्रेषित रजिस्टर्ड सूचना-पत्र इस कार्यालय को वापिस प्राप्त हो गया है. महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से श्री महेश देवडिया को सूचना-पत्र भेजा गया था लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ. सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से श्री सुनील कुमार नापित उपस्थित हुये तथा उनके द्वारा यह लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वे ना तो किसी भण्डार के सदस्य हैं और न ही किसी निर्वाचन में भाग लिया है. उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है.

उक्त भण्डार के संबंध में कार्यालयीन अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें यह पाया गया कि इस कार्यालय द्वारा उक्त पंजीयन

क्रमांक एवं दिनांक पर मात्र एक संस्था पंजीकृत है. जिसका नाम प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा तथा उसका पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 है. (पंजीयन प्रमाण प्रति संलग्न है) महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा एवं सद्भाव प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडामलहरा के नाम से इस कार्यालय द्वारा कोई पंजीकृत संस्था नहीं है. लेकिन पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 पर पंजीकृत प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. इससे यह स्पष्ट है कि :—

1. उक्त संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थित नहीं है तथा संस्था का कोई कार्यालय नहीं है.
2. उक्त संस्था पूर्णत: अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक से कोई कार्य नहीं किया गया है. स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों को संस्था में कोई रुचि नहीं है.
4. संस्था में नियम विरुद्ध तरीके से सदस्यों के नाम लिखे गये हैं.
5. संस्था द्वारा संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
6. संस्था, सहकारी अधिनियम, नियम एवं पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है.

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 पूर्णत: निष्क्रिय एवं अकार्यशील है तथा सहकारी अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के प्रावधानों का पालन करना बंद कर दिया है. ऐसी स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., बडामलहरा, पंजीयन क्रमांक 640, दिनांक 04 जनवरी, 1991 के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर यह अपेक्षा करता हूं कि उक्त के संबंध में यदि आप अपने पक्ष समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं तो दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं. अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि उक्त के संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है. प्रस्तावित कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(60)

छतरपुर, दिनांक 14 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./विधि/2014/1985.—कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/2014/1187, दिनांक 08 जुलाई, 2014 द्वारा श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, लौड़ी को अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चन्दला का प्रशासक नियुक्त किया गया था.

श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2014 द्वारा अवगत करया गया कि उनके द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 2014 को उक्त भण्डार का पदभार ग्रहण कर लिया था किन्तु उन्हें संस्था का कोई रिकॉर्ड चार्ज में प्राप्त नहीं हुआ तथा संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, जिससे संस्था स्वयं की पूँजी से व्यवसाय चलाने में असमर्थ है एवं संस्था की सदस्यता सूची उपलब्ध ना होने के कारण संस्था के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव निर्वाचन प्राधिकारी को प्रेषित नहीं हो पा रहा है. उक्त कारणों से प्रशासक द्वारा दिनांक 23 अगस्त 2014 को संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है.

तदुपरांत कार्यालयीन पत्र क्र./परि./विधि/2014/1492, दिनांक 28 अगस्त, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के समस्त सदस्यगण द्वारा प्रशासक को जारी किया गया था, जिसमें आमसभा आहूत कर आमसभा के समक्ष सूचना-पत्र विचारार्थ रखकर एक माह के भीतर कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन रखने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु लगभग डेढ़ माह व्यतीत होने के उपरांत भी कोई जवाब एवं पक्ष समर्थन में कोई उपस्थित नहीं हुआ.

प्रशासक श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 द्वारा सूचित किया गया कि उनके द्वारा संस्था के कार्य संचालन हेतु दिनांक 17 सितम्बर, 2014 को आमसभा आयोजित की गई थी जिसकी सूचनी दिनांक 04 सितम्बर, 2014 को दैनिक जन संवाद टाईम्स छतरपुर में

प्रकाशित कराई गई थी किन्तु निर्धारित दिनांक एवं समय को आयोजित आमसभा में संस्था का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण से आधा घंटा के लिए आमसभा स्थिगित कर पुन: प्रारंभ की गई तथा प्रस्ताव क्र 03 में संस्था के सदस्यों द्वारा कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं लिये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने का प्रस्ताव पारित कर पुन: इस कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रशासक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उक्त संस्था के सदस्यों की संस्था में कोई रुचि नहीं है. अत: संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, अंजनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., चंदला को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी अधिनियम की धारा 70 (1) के तहत् श्री के. एल. विश्वकर्मा, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी, लौड़ी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 14 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(61)

छतरपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2014

[मध्यप्रदेश राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/2029.—मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पल्टा (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) का पंजीयन इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2001 को किया गया था, जिसका पंजीयन क्र. 886 है. सहकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संस्था के पंजीयन उपरांत संस्था को अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य प्रारम्भ करना था लेकिन कार्यालयीन अभिलेखों (अंकेक्षण टीपों) के आधार पर यह पाया गया कि उक्त संस्था द्वारा निर्धारित समय तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया इसलिये सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत् संस्था के तत्कालीन संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र. 639, दिनांक 07 जुलाई, 2008 जारी किया जाकर 15 दिवस के अन्दर जबाव चाहा गया था लेकिन संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. संस्था की ओर से तत्समय में कोई जबाव प्रस्तुत न होने के कारण इस कार्यालय द्वारा आदेश क्र. 47, दिनांक 09 जनवरी, 2009 के द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् परिसमापन में लाया जाकर श्री राजीव सक्सेना, सहकारी निरीक्षक एवं तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये संस्था की अंकेक्षण टीप के अनुसार लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण किया जाकर अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था. चूंकि संस्था की सभी लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण हो गया था तथा संस्था की बैलेन्स शीट निल हो गयी थी इसलिये इस कार्यालय के आदेश क्र. 310, दिनांक 31 मार्च, 2010 के द्वारा संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था.

संस्था में परिसमापक की नियुक्ति हो जाने के बाद संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सरजू प्रसाद कहार का यह दायित्व था कि संस्था के पंजीयन संबंधी सभी रिकॉर्ड परिसमापक को प्रभार में दें, लेकिन उनके द्वारा पंजीयन प्रमाण-पत्र, आदेश एवं पंजीयन नस्ती प्रभार में नहीं दी गई. इसके पश्चात् संस्था का पंजीयन निरस्त होने के उपरांत उनका यह दायित्व था कि संस्था का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेज कार्यालय में जमा करें लेकिन उनके द्वारा नहीं किया गया. संस्था का पंजीयन निरस्त हो जाने के बावजूद श्री सरजू प्रसाद कहार द्वारा निरस्त अवैध पंजीयन प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 16 जनवरी, 2012 को ग्राम पंचायत गौरिहार के अंतर्गत आने वाला कला सिंचाई जलाशय का पट्टा कार्यालय कलेक्टर, जिला छतरपुर के पत्र क्र. 66, दिनांक 16 जनवरी, 2012 के द्वारा प्राप्त किया गया.

इसके पश्चात् श्री सरजू प्रसाद कहार द्वारा उक्त पट्टे के आधार पर संस्था के पंजीयन निरस्त होने के दो वर्ष बाद वर्ष 2012 में पंजीयन निरस्ती आदेश के विरुद्ध न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर में अपील की गई, जिसमें उक्त पट्टे के आधार पर उनके द्वारा संस्था को कार्यशील बताया गया तथा न्यायालय संयुक्त पंजीयक द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2012 को पंजीयन निरस्ती आदेश को स्थगित किया गया. पंजीयन निरस्ती आदेश स्थगित होने का आशय यह है कि संस्था पूर्ववत परिसमापन में आ गई तथा संस्था का समस्त प्रभार परिसमापक में वेष्ठित हो गया. तात्पर्य यह कि श्री सरजू प्रसाद कहार को संस्था का समस्त प्रभार परिसमापक को दिया जाना था तथा परिसमापक के माध्यम से आगे की कार्यवाही की जानी थी लेकिन उनके द्वारा पुन: परिसमापक को कोई भी जानकारी नहीं दी गई. संस्था का पंजीयन निरस्ती आदेश में स्थगन होने एवं संस्था का परिसमापन में आ जाने एवं संस्था में परिसमापक नियुक्त होने के बावजूद श्री सरजू प्रसाद कहार पुन: अनियमित एवं फर्जी तरीके से दिनांक 25 जून, 2012 को सूखा तालाब पट्टा प्राप्त कर लिया गया.

इसके पश्चात् न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर द्वारा अपने आदेश दिनांक 09 नवम्बर, 2012 के द्वारा पंजीयन निरस्ती

आदेश दिनांक 31 मार्च, 2010 को निरस्त करते हुये इस कार्यालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया. तात्पर्य यह है कि उक्त संस्था पुनः परिसमापन में आ गई. इस कार्यालय द्वारा संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सरजू प्रसाद कहार को सूचना-पत्र जारी किया जाकर सुनवाई हेतु आहूत किया गया. संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सरजू प्रसाद कहार द्वारा प्रस्तुत पुर्नजीवन के आवेदन-पत्र पर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2014/447, दिनांक 10 मार्च, 2014 के द्वारा परिसमापक श्री एम. के. रावत को कार्यवाही हेतु लेख किया गया. परिसमापक द्वारा दिनांक 27 सितम्बर, 2014 को यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि संस्था के सदस्यों की कोई अंशराशि शेष नहीं बची है तथा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण पूर्व परिसमापक द्वारा कर दिया गया था. चूंकि संस्था के सदस्यों की अंशराशि निरंक हो गयी है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था में कोई सदस्य नहीं रह गया है तथा संस्था का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है. ऐसी स्थिति में संस्था में आमसभा आहूत करना एवं पुनर्जीवन की कार्यवाही की जाना संभव नहीं है. इसलिये उक्त संस्था का पुनः पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाना उचित होगा.

परिसमापक के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री सरजू कहार को पुनः इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2014/1863, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 के द्वारा सूचना-पत्र जारी किया जाकर दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को आहूत किया गया था. लेकिन संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ. उक्त संस्था के सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का पूर्व परिसमापक द्वारा निराकरण कर दिया गया था तथा संस्था की बैलेन्सशीट निल हो गयी थी, जिसके कारण संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था. चूंकि संस्था के सभी सदस्यों की अंशराशि आदि शेष नहीं बची है इससे यह स्पष्ट है कि संस्था में कोई भी सदस्य नहीं रह गया है. संस्था में सदस्य न रह जाने के कारण संस्था के पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं रह जाती है. इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परि./2014/1191, दिनांक 08 जुलाई, 2014 के द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल से भी मार्गदर्शन चाहा गया था लेकिन आज दिनांक तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है. संस्था की समस्त लेनदारियों/देनदारियों का निराकरण हो जाने, बैलेन्सशीट निल हो जाने एवं संस्था में किसी भी व्यक्ति की अंशराशि बकाया न होने के कारण यह स्पष्ट है कि संस्था में कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है. ऐसी स्थिति में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त संस्था के पुनर्जीवन की कोई संभावना है इसलिये उक्त संस्था का पुनः पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., पल्टा का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगमित निकाय (बॉडी कॉर्पोरेट) समाप्त करता हूँ..

यह आदेश आज दिनांक 20 नवम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(61-A)

छतरपुर, दिनांक 05 दिसम्बर, 2014

क्र./परि./14/2288.—कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण से प्राप्त अकार्यशील संस्थाओं की सूची के आधार पर सुखसागर मत्स्योद्योग एवं सिंघाड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालगाँव, पंजीयन क्र. 496, दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2419, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था.

संस्था के सदस्यों द्वारा दिनांक 28 अगस्त, 2014 एवं 10 अक्टूबर, 2014 को संस्था को पुनर्जीवित करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया. संस्था की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर पुर्नजीवन की नियमानुसार कार्यवाही हेतु परिसमापक को कार्यालयीन पत्र क्र./परि./2014/1815, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 के द्वारा लेख किया गया था.

परिसमापक द्वारा 20 नवम्बर, 2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत पुनर्जीवन प्रस्ताव का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि संस्था को कलेक्टर, छतरपुर के आदेश क्र./386/म.क्र.वि.अभि./तक/04-05, दिनांक 17 मार्च, 2005 के द्वारा संस्था को 2004-05 से 2014 तक दस वर्ष के लिये तालाब का पट्टा आबंटित किया गया था इससे स्पष्ट है कि संस्था कार्यशील है तथा संस्था के सदस्यों द्वारा अपनी उपविधियों के अनुरूप कार्य किया गया है. अतः परिसमापक के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये संस्था को पुनर्जीवित करना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनिमय, 1960 की धारा-69 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं अखिलेश कुमार निगम, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छतरपुर, सुखसागर मत्स्योद्योग एवं सिंघाड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., तालगाँव, पंजीयन क्रमांक 496, दिनांक 26 दिसम्बर, 1985 को पुनर्जीवित करता हूँ.

संस्था के संचालन करने हेतु 06 माह के लिये निम्नानुसार कार्यकारिणी कमेटी को नामंकित किया जाता है :—

1. श्री परसराम रैकवार	अध्यक्ष
2. श्री उमरौआ रैकवार	उपाध्यक्ष
3. श्री रामप्यारे रैकवार	सदस्य
4. श्री मोहन रैकवार	सदस्य
5. श्री हरी रैकवार	सदस्य
6. श्री टीकाराम रैकवार	सदस्य
7. श्री खुमना रैकवार	सदस्य
8. श्री दुर्जन रैकवार	सदस्य
9. श्री बिन्दा रैकवार	सदस्य
10. श्री भागचंद रैकवार	सदस्य
11. श्री हीरालाल रैकवार	सदस्य

यह आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(61-B)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/476, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ताजपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 497, दिनांक 09 सितम्बर, 1980 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 02 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(62)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/623, दिनांक 22 अप्रैल, 2009 द्वारा जय सन्तोषी माँ महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्यादित, अमला, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 13 मार्च, 2003 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री जी. डी. डोडिया, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 06 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(62-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था जय किसान बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नूरगंज, तह. गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1086, दिनांक 29 जनवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ब्यावरा, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 03 जुलाई, 2004 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-A)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था एकता महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., सांकल, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1062, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-B)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित

कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था आशा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., खेरखेडी, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1061, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-C)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था सांई कृपा श्रमिक एवं खदान सहकारी संस्था मर्या., गेरतगंज, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1044, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-D)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी.

सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बनखेड़ी, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 07 फरवरी, 2002 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-E)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गेरतगंज, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 811, दिनांक 28 दिसम्बर, 2002 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. श्रीवास्तव, व. स. नि. रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-

1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-F)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बागोद, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 29 मार्च, 2003 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-G)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा

में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सेमरा, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 24 सितम्बर, 2004 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-H)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., तिजालपुर, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 01, दिनांक 07 फरवरी, 2002 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एम. एल. राजपूत, सह. वि. अधि., सांची को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया

तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-I)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा सहकारिता आफसेट प्रिंटिंग प्रेस मर्या., रायसेन, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 03, दिनांक 31 मई, 2002 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-J)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा गुरूकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खैरवाडा, तह. बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 03 अगस्त, 2010 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न

कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एम. पी. वर्मा, सह. वि. अधि., बाडी को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-K)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा नाहर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरेली, तह. बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 09 फरवरी, 2004 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री ए. पी. सिंह, सह. निरी., रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-L)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था उन्नत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धामनपानी, तह. सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1087, दिनांक 22 फरवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-M)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1045, दिनांक 02 मई, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना

जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-N)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था हरिऔम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुदावल, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1058, दिनांक 30 जुलाई, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-O)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-

1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था ज्ञानोदय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामतौन कासिया, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1056, दिनांक 18 जून, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-P)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था जयहिन्द बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चान्दोनीगढी, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1060, दिनांक 22 अगस्त, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-Q)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया

गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामगढ़, तह. बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1085, दिनांक 29 जनवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-R)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था शिवसाधना बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवनगर, तह. गेरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 08 जनवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-S)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा

में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था श्री सिद्धि विनयक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देहरीकला, तह. बाडी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1058, दिनांक 30 जुलाई, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-T)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा महाबोधी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., सांची, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 972, दिनांक 09 नवम्बर, 2010 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एम. एल. राजपूत, सह. वि. अधि., सांची को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-U)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा आदिवासी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., पिपलिया गोली, तह. गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 969, दिनांक 30 अप्रैल, 2010 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री विनयसिंह, सह. वि. अधि., औबेदुल्लागंज को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-V)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना

युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., कुकरा, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 01 जून, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-W)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा माँ गायत्री महिला अ. जा. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 641, दिनांक 12 फरवरी, 1998 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री एस. के. सनमारे, उप-अंकेक्षक, रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-X)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा

में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था गरीब नवाज मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., पोनिया, तह. गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1066, दिनांक 28 दिसम्बर, 2013 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-Y)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था मछुआ सहकारी संस्था मर्या., तिलेंडी, तह. गोहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1074, दिनांक 02 जनवरी, 2014 को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार है. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(63-Z)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये

पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तह. उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 959, दिनांक 20 अप्रैल, 2009 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्री के. सी. यादव, सह. निरी., रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(64)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (2 एवं 3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-58 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किये गये पेनल में से सहकारी सोसायटी के साधारण निकाय द्वारा नियुक्त किये गये संपरीक्षक अथवा संपरीक्षा फर्म द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा करायेगी. सोसायटी के लेखाओं की संपरीक्षा उस वित्तीय वर्ष के, जिससे वे लेखे संबंधित हों, समाप्ति के 6 माह के भीतर कराई जायेगी. अर्थात् प्रत्येक सोसायटी का कर्तव्य होगा कि विभागीय संपरीक्षक/सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्मों से संपरीक्षा हेतु 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य वार्षिक आमसभा में संपरीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पारित करायेगी एवं लेखाओं की संपरीक्षा पूर्ण करायेगी. कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला रायसेन के पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/451, दिनांक 19 अगस्त, 2013 के द्वारा सांची वस्त्रोद्योग सहकारिता मर्या., घोघरी, तह. रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 03 अप्रैल, 2008 है, के अध्यक्ष/प्रबंधक (आपको) को वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये संपरीक्षा कराये जाने की अपेक्षा की गई थी. साथ में, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया था. इसके अतिरिक्त श्रीमती पूनम वट्टी, सह. निरी., रायसेन को निर्देशित किया गया था कि आपसे संपर्क कर संपरीक्षा हेतु प्रस्ताव/ठहराव कार्यालय सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, सहकारिता, जिला रायसेन में प्रस्तुत किया जाये. किन्तु उनके द्वारा आपसे संपर्क किये जाने पर भी आपके द्वारा कोई रुचि नहीं दिखाई गई, जो कि उचित नहीं है. आपकी संस्था के द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के संपरीक्षा हेतु संस्था की वार्षिक आमसभा आयोजित कर विभागीय संपरीक्षक अथवा सनदी लेखापाल/सनदी लेखापाल फर्म की नियुक्ति का प्रस्ताव/ठहराव पारित कर अथवा संपरीक्षा पूर्ण कराया जाकर संपरीक्षा प्रतिवेदन/अंकेक्षण टीप आज दिनांक तक कार्यालय सहायक पंजीयक, अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं रजिस्ट्रार के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है. यह दिखलाई पड़ता है कि सोसायटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है, जिसके कारण सोसायटी को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (3) के अंतर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के संबंध में अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें. अन्यथा क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाये? इस कारण बताओ सूचना-पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर आप अपना युक्तियुक्त उत्तर प्रस्तुत करें तथा यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहें तो प्रस्तुत करें. यदि आपने निर्धारित समयावधि में उत्तर नहीं दिया तो यह माना जावेगा कि आप उत्तर नहीं देना चाहते तथा आपको उपर्युक्त आरोप स्वीकार हैं. तदुपरांत विधि अनुरूप निर्णय लिया जाकर अंतिम आदेश जारी किया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 जनवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(64-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 06] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015-माघ 17, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील भाण्डेर (दतिया), मऊगंज, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), अनूपपुर (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली (उमरिया), सिंहावल, मझोली (सीधी), मो. बड़ोदिया, गुलाना (शाजापुर), पेटलावद, झाबुआ (झाबुआ), जोवट, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, धार, कुक्षी, मनावर, गंधवानी, डही (धार), सेंधवा, निवाली (बड़वानी), कुरवाई, बासोदा, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), बरेली (रायसेन), भैंसदेही, आमला (बैतूल), कटनी, रीठी, ढीमरखेड़ा (कटनी), निवास, नैनपुर, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), लखनादौन, बरघाट, छपारा (सिवनी), बालाघाट (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील सेंवढ़ा (दतिया), हजूर (रीवा), बैतूल (बैतूल), बिछिया, मण्डला (मण्डला), छिन्दवाड़ा, परासिया, सोंसर (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील सरदारपुर (धार), मुल्ताई (बैतूल), जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, सागर, रीवा, अनूपपुर, सीधी, झाबुआ व सिवनी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला सागर में फसल चना, अलसी व ग्वालियर, रीवा व खरगौन में रबी फसलों का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला धार, सिवनी में फसल सोयाबीन व सीधी उड़द, मूँग, मक्का व झाबुआ में मक्का, सोयाबीन, उड़द व आगर, अलीराजपुर, इन्दौर, सीहोर, बैतूल, छिन्दवाड़ा में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, गुना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, झाबुआ, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 08 अक्टूबर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) गन्ना, उड़द, तुअर, मूँगमोठ, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	19.0		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, उड़द, तिल, मूँगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	7.0				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, सोयाबीन सुधरी हुईं.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, मूँगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) तुअर अधिक. ज्वार, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) मूँग अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, अलसी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, मूँग, अरहर, तिल कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें कम.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		मक्का, धान, तिल बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) मूँग, उड़द, मक्का, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		धान, सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	. .		(2) . .		
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) ज्वार अधिक. धान, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		उड़द, मूँग, तिल, अरहर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	9.0		(2) . .		
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	30.2				
6. गुढ़	4.0				
7. रायपुरकर्चुलियान	10.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) धान, सोयाबीन, राहर, कोदों-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	2.3		कुटकी कम. रामतिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	. .		(2) . .		
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	9.6		4. (1) धान, उड़द, अरहर अधिक. सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	4.0		कम. मक्का, कोदों-कुटकी, तिल	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	. .		समान.		
			(2) . .		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व उड़द, मूँग, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) मक्का, धान, तिल, तुअर, मूँग, उड़द, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	17.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	0.4				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) धान कम. मक्का, ज्वार, तिल, उड़द, मूंग, कोदों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	10.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) . .		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	1.0				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) कपास, तुअर उड़द, मूंग, मूँगफली अधिक. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई व मक्का, सोयाबीन, उड़द की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, उड़द कम. धान, सोयाबीन, तुअर, कपास समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) . .		
3. पेटलावद	9.2				
4. झाबुआ	1.2				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	5.6		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, उड़द, मूँग, सोयाबीन, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. उदयगढ़	16.2				
6. च.शे.आ. नगर	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	10.2		4. (1) मक्का, कपास, मूँगफली अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	36.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	10.0				
4. कुक्षी	3.5				
5. मनावर	7.0				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	5.0				
8. डही	4.0				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली अधिक. ज्वार, धान, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .		(2) . .		
3. सेगांव	. .				
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	10.0				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	1.0				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) कपास, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	. .				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	4.0				
4. बासौदा	2.2				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	1.2				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	5.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का, तुअर, मूँग, मूँगफली, ज्वार, उड़द समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .		
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, कोदों-कुटकी, अरहर, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		उड़द, तिल, मूँगफली, गन्ना अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	. .		ज्वार, मक्का, सोयाबीन, कम.		
4. गौहरगंज	. .		(2) . .		
5. बरेली	14.0				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की कटाई	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	13.0	का कार्य चालू है.	4. (1) सोयाबीन, मक्का कम. धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	26.40				
6. मुलताई	42.0				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	1.0				
***जिला होशंगाबाद :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
***जिला हरदा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) मूँग अधिक. धान, उड़द, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		तिल, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .		(2) . .		
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	6.4		4. (1) धान, तिल, मक्का, कोदों, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	4.0		उड़द, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	8.0				
6. बडवारा	. .				
7. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) तुअर, सोयाबीन, धान, मक्का, उड़द, गन्ना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	2.9		4. (1) धान, मक्का, तुअर, तिल, उड़द, कोदों-कुटकी, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	20.5		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	7.3				
4. मण्डला	25.6				
5. घुघरी	4.8				
6. नारायणगंज	3.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	25.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	45.6		(2) . .		
3. परासिया	22.2				
4. जामई (तामिया)	1.0				
5. सोंसर	20.0				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	1.2				
8. चौरई	5.2				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	14.5				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, सोयाबीन कम. तिल, सन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	5.0				
4. बरघाट	11.2				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	5.1				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	6.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला श्योपुर, भिण्ड, शहडोल, खण्डवा, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.